कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 463 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक- 16|08| 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर, मु0-कीर्तिनगर।

विषयः- जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियो हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.095 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। । **(FP/UK/ROAD/50755/2020**

सन्दर्भः- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0-1924 (1)/X-3-20/1(216)2020, दिनांकः-31-12-2020 एवं अपर प्रमुख वन सरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांकः-1891/**(FP/UK/ROAD/50755/2020**, दिनांकः-13-01-2021।

महोदय,

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियो हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.095 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार अनुपालन किया जायेगा-

1- **शासन की शर्त सं0-01** के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु मु0-146400.00 (एक लाख छियालीस हजार चार सौ रूपये मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण कि धनराशि के मांग का आंकलन

1- रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या-100
2- वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित दर प्रति वृक्ष- 1464.00
3- रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि की मांग-100X1464=146400.00

2- **शासन की शर्त सं0-02** के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांकः-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि मु0-624150.00 (छः लाख चौबीस हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) जमा किया जायेगा।

3- **शासन की शर्त सं0-03** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- **शासन की शर्त सं0-04** के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एव भारत सरकार के पत्र सं0-5-3-2007-एफ0सी0, दिनांकः-05-02-2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा आन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा तथा बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार

अनुपालन आख्या संलग्नको सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।

5– **शासन की शर्त सं0–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

6– **शासन की शर्त सं0–06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियो एव भू–वैज्ञानिक के सुझावो का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

7– **शासन की शर्त सं0–07** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

8– **शासन की शर्त सं0–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्ति वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी

9– **शासन की शर्त सं0–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुना एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

10– **शासन की शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

11– उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

PK/Worldemand & Compliance